

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास (अवरबेसमेन्ट), मेट्रो मास हॉस्पिटल के पास,
सेक्टर-7 शिप्रा पथ, अरावली मार्ग के सामने, मानसरोवर जयपुर
फोन एवं फैक्स नं. 0141-2786051 (Email: rmdcc 2000@yahoo.co.in)


क्रमांक प.1()आरएमएफडीसीसी/2018-19/416

दिनांक: 30/4/18

परिपत्र

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को व्यावसायिक ऋण, शिक्षा ऋण व माइक्रो ऋण स्वीकृत कर निगम को मांग भिजवाने में निम्नांकित दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाये :-


1. व्यावसायिक ऋण, शिक्षा ऋण व माइक्रो ऋण में सम्पूर्ण स्वीकृत राशि पर देय 2% सदस्यता शुल्क + ऋणी का 5% हिस्सा राशि एक मुश्त ऋण की प्रथम मांग के साथ वसूल कर सम्पूर्ण राशि नियमानुसार निगम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करवाये।
2. व्यावसायिक ऋण, शिक्षा ऋण व माइक्रो ऋण की मांग पत्र में इस आशय का प्रमाण-पत्र अंकित करें कि " यह प्रमाणित किया जाता है कि मांग पत्र में जिन ऋणियों की मांग राशि अंकित कर प्रेषित की जा रही है कि मांग पूर्व में नहीं की गयी है ना ही इन ऋणियों को निगम द्वारा चलायी जा रही ऋण योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है "।
3. व्यवसायिक ऋण एवं शिक्षा ऋण की आगामी किश्त की मांग करते समय पूर्व में जारी की गई किश्त यथा स्वीकृत राशि, भुगतान की गई राशि एवं दिनांक जिसको पूर्व में भुगतान किया गया था, का विवरण भी प्रस्तुत करें।


प्रबन्ध निदेशक

दिनांक: 30/4/18

क्रमांक प.1()आरएमएफडीसीसी/2018-19/417-451
प्रतिलिपि

1. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
2. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी।
3. रक्षित पत्रावली।


प्रबन्ध निदेशक